हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी
Board of School Education Haryana, Bhiwani
(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

महत्वपूर्ण सूचना

Notification No. BSEH/SEC/2026/03 Date:- 02-07-2026

विषयः—सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा जुलाई—2026 हेतु परीक्षार्थियों के प्रवेश—पत्र जारी करने बारे।

सैकेण्डरी तथा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा जुलाई—2026 हेतु स्वंयपाठी परीक्षार्थियों के प्रवेश—पत्र दिनांक 02.07.2026 से बोर्ड की वैबसाईट www.bseh.org.in पर जारी किए जा रहे है। स्वंयपाठी परीक्षार्थी अपना प्रवेश—पत्र बोर्ड की वैबसाईट पर दिए गए लिंक पर पिछला अनुक्रमांक/नाम, पिता का नाम, माता का नाम भरते हुए डाउनलोड कर सकते है।

जिन परीक्षार्थियों का परिणाम U.M.C.की पुनः अपील की सुनवाई उपरान्त दोषमुक्त/पेपर रद्द व पुनःजांच/पुर्नमूल्यांकन उपरान्त Not Qualified से Compartment संशोधित हुआ है ऐसे परीक्षार्थी बिना विलम्ब शुल्क के साथ तथा जिनके द्वारा ऑन—लाईन आवेदन प्रक्रिया में केवल अपने विवरण भरे थे परीक्षा शुल्क का समायोजन नही करवाया गया ऐसे परीक्षार्थी 1000/:रुपये विलम्ब शुल्क के साथ अपने रि—अपीयर विषय की परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व तक बोर्ड कार्यालय में कार्यालय दिवसों में दस्ती तौर पर साक्ष्यों सहित प्रतिवेदन देते हुए ऑफ—लाईन आवेदन फार्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन परीक्षार्थियों द्वारा Compartment श्रेणी के साथ ही पुनःजांच/पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन किया गया था तथा पुनःजांच/पुर्नमूल्यांकन उपरान्त परिणाम Compartment से Qualified संशोधित हुआ है ऐसे परीक्षार्थियों की परीक्षा श्रेणी संशोधित करते हुए उनके प्रवेश—पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा वे आंशिक अंक सुधार की परीक्षा दे सकते हैं।

सभी परीक्षार्थियों को ए—4 साईज पेपर पर रंगीन प्रवेश—पत्र डाउनलोड किया जाना अनिवार्य है। परीक्षार्थी प्रवेश—पत्र का रंगीन प्रिंट लेने उपरांत अपने सभी विवरण भलीभांति जांच लें, यदि विवरणों में कोई भी त्रुटि है तो तुरंत बोर्ड कार्यालय में सम्पर्क करते हुए विवरण में शुद्धि करवा लें, बाद में कोई त्रुटि ठीक करवाने बारे दिये गए प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि किसी परीक्षार्थी का अनुक्रमांक किसी कारण से रोका गया है, तो परीक्षार्थी किसी भी कार्यदिवस में बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हुए अपना प्रवेश—पत्र जारी करवा सकते है। दिव्यांग परीक्षार्थी द्वारा बोर्ड कार्यालय/परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाते हुए परीक्षा से पहले लेखक की अनुमति लेनी अनिवार्य है। लेखक से संबंधित दस्तावेज बोर्ड कार्यालय में ई0मेल से या दस्ती जमा करवाने होंगे।

इस संदर्भ में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर बोर्ड वैबसाईट पर जारी हैल्पलाईन नम्बर 01664—254309/ई0मेल आई0डी0 सैकेण्डरी assec@bseh.org.in सीनियर सैकेण्डरी assrs@bseh.org.in पर सम्पर्क करते हुए समाधान करवाना सुनिश्चित करें।

अन्य दिशा—निर्देश जारी किए जाने वाले प्रवेश—पत्र पर दर्शाए जाएगें।

हस्ता0—

सहायक सचिव (सै0/सी0सै0)